UPVR010057712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1905 / 2026

1–सन्दीप कुशवाहा
2–मनोज कुमार
3–सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुनील कुशवाहा

पुत्रगण–स्व0 बेचनलाल, निवासीगण–ए016 / 1 गंगा नगर कालोनी, थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण,

बनाम

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या–93 / 2026
धारा–110,115(2),191(2),333,351(3),352
बी0एन0एस0
थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

UPVR010057722026

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1906 / 2026

1–अभिषेक कुशवाहा
2–सूरज कुशवाहा
3–सुरेन्द्र कुशवाहा
4–आनन्द कुशवाहा

पुत्रगण–गोपाल, निवासीगण–ए016 / 1 गंगा नगर कालोनी, थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण,

बनाम

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या–93 / 2026
धारा–110,115(2),191(2),333,351(3),352
बी0एन0एस0
थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

UPVR010057732026

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.29 11:06:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1907 / 2026

1–ऋषभ कुशवाहा पुत्र अरविन्द कुशवाहा
2–अरविन्द कुशवाहा पुत्र स्व0 बेचनलाल
निवासीगण–ए016 / 1 गंगा नगर कालोनी, थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण,

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–93 / 2026
धारा–110,115(2),191(2),333,351(3),352 बी0एन0एस0
थाना–आदमपुर, जिला–वाराणसी।

25–06–2026

1– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **सन्दीप कुशवाहा, मनोज कुमार, सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुनील कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, सुरेन्द्र कुशवाहा, आनन्द कुशवाहा, ऋषभ कुशवाहा व अरविन्द कुशवाहा** की ओर से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत हेतु उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी दाखिल किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा राम जनम कुशवाहा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 18.05.2026 को समय 4.00 बजे उसका पुत्र अपने घर में बैठा था और वह अपने बगल वाले निवास पर बैठा था। उसी समय वादी के घर में घूस कर अरविन्द कुशवाहा, मनोज कुमार, सुनील कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, रिषभ कुशवाहा, आनन्द कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, सुरेन्द्र कुशवाहा, सूरज कुशवाहा एक राय व गोल बनाकर योजना बन्द तरीके से सुनील उसे थप्पड व लात घूसा से मारने लगा, शोर गुल पर उसका पुत्र रजत कुशवाहा व रजनीश कुशवाहा मौके पर पहुंचे तो विपक्षीगण अरविन्द कुशवाहा, रिषभ कुशवाहा, मनोज कुशवाहा लोहे के राड़ व सरिया से उसके घर में घूस कर जान मारने की नियत से गाली देते हुए उसके पुत्र के सिर पर जानलेवा प्रहार किये, जिसमे उसके पुत्र रजत कुशवाहा के सिर व कन्धे पर गम्भीर चोटें आयी और उसी जगह बेहोश हो गया। शोर गुल होने लगा तो आस पास के लोग इक्ट्ठा हुए और इन सभी ने घटना को देखा। वादी का बेटा रजनीश कुशवाहा भी मौके पर पहुंचा तो उसे भी ये लोग गाली देते हुए मारने पीटने लगे और लकड़ी व लोहे के राड़ से भी उसे व उसके बेटे को मारने लगे जिससे रजनीश कुशवाहा के हाथ की हड्डी टूट गयी।

4– उपरोक्त घटना के आधार पर अभियुक्तगण अरविन्द कुशवाहा व 9 अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मजरूब रजत कुशवाहा का मेडिकल कराया गया, जिसमें निम्न चोटें आना उल्लिखित है–

1- Lacerated wound 4.0 cm x 0.3 cm x muscle deep on Head right, 6.0 cm above eyebrow, 8.0 cm above top of pinna.

2- Abraded contusion 6.0 cm x 7.0 cm on shoulder right, fresh blood

clot present.
3- Abraded contusion 5.0 cm x 5.0 cm on right side arm lateral mid, reddish.
4- Abraded contusion 4.0 cm x 4.0 cm on elbow right,
5- Abraded contusion 3.0 cm x 4.0 cm on forearm lateral mid left.

मजरूब राम जनम कुशवाहा का मेडिकल कराया गया, जिसमें मजरूब को साधारण प्रकृति की चोटें आना उल्लिखित है।

मजरूब रजनीश कुशवाहा का मेडिकल कराया गया, जिसमें निम्न चोटें आना उल्लिखित है–

1- Contusion swelling 6 cm x 6 cm on dorsum of thumb base right.

5– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सन्दीप कुशवाहा, मनोज कुमार, सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुनील कुशवाहा की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक मनगढ़ंत है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं। दोनों पक्षों में मकान के बटवारे को लेकर आपस में मतभेद है, जिसके कारण अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस मामले से 5 माह पूर्व दिनांक 11.01.2026 को वादी मुकदमा अपने सभी पुत्रों व पुत्रियों को लेकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अनुपस्थिति में उसके सहन में घुस आए और कब्जा करने की नियत से उसकी माता व बहन को अकेला पाकर मारने पीटने लगे। उसकी चाची शीला देवी द्वारा उक्त घटना के संबंध में अ०स० 12/26, अतर्गत धारा 115(2), 351(2), 352, 191(2) बी0एन0एस0एस0, थाना आदमपुर जिला वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मुकदमा के पंजीकृत कराने के बाद से ही वादी मुकदमा तथा उसके परिवार के लोग प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के परिवार से रंजिश रखने लगे तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के हिस्से पर अपना नाजायज कब्जा करने की नियत से विवाद करते रहते है। मुकदमा उपरोक्त में वर्णित घटना वाले दिन वादी मुकदमा तथा उसके परिवार के लोगों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें दोनो पक्षों की तरफ के लोगों को चोंटे आई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

6– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, सुरेन्द्र कुशवाहा, आनन्द कुशवाहा की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक मनगढ़ंत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई समुचित कारण नही दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

7– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ऋषभ कुशवाहा व अरविन्द कुशवाहा की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक मनगढ़ंत है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

8– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण द्वारा मकान के विवाद को लेकर वादी पक्ष को गाली देते हुए मारपीट की गयी, जिससे वादी पक्ष के लोगों को गम्भीर चोटें आयी। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

9– मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

10– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सन्दीप कुशवाहा, मनोज कुमार, सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुनील कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, सुरेन्द्र कुशवाहा, आनन्द कुशवाहा, ऋषभ कुशवाहा व अरविन्द कुशवाहा** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण (प्रत्येक) द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार रूपए) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने की दशा में उन्हें पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार करने की स्थिति में अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस आशय का भी अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि –

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं को पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ हेतु प्रस्तुत करेंगे जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जायेगा।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भारत देश नहीं छोडेंगे जब तक कि सक्षम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

इस आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1906/2026 व 1907/2026 पर रखी जाए।

दिनांक : 25–06–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-Gaurav Maurya